



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office, Gandhinagar, A Wing- 407 & 409, "Aranya Bhawan", Near Ch-3 Circle, Sector-10a, Gandhi Nagar-382010
Email: irogandhng-r-mefcc@gov.in



Online Proposal No.: [FPRJ/ROAD/436675/2023](#)

Date: 08/05/2025

To,

Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
Vansikri Path, Near Secretariat,
Jaipur 302005 (Rajasthan)

Subject:

Proposal for non-forestry use of 16.95 ha of forest land under Van (Samsarkhan Eram Samvardhan) Adhinyam, 1980 in favour of M/s Ministry of Road Transport & Highways for Ajmer Territorial in Forest Division, District AJMER (RAJASTHAN)-reg

Sir/Madam,

This is in reference to the online proposal no. FPRJ/ROAD/436675/2023, dated 14/07/2023, on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section/ 2 of the Van (Samsarkhan Eram Samvardhan) Adhinyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Empowered Committee constituted by the Central Government under Rule 6 of the Forest (Conservation) Rule, 2002 framed under Forest Conservation Act 1980.

After careful consideration and approval of the proposal by the 24th REC, the undersigned directed to convey the "In-Principle/Stage-I" approval of the Central Government under section 2 of the Van (Samsarkhan Eram Samvardhan) Adhinyam, 1980 for the Proposal for non-forestry use of 10.95 ha of forest land under Van (Samsarkhan Eram Samvardhan) Adhinyam, 1980 in favour of M/s Ministry of Road Transport & Highways for Ajmer Territorial in Forest Division, District AJMER (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions:

1. General Conditions	
S.No	Conditions
1.1.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2.	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency
1.3.	The forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance
1.4.	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or RF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Sections of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.5.	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.6.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.7.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry, vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.8.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.9.	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc C/MMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.10.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.11.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.12.	The User Agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.13.	No labour camp shall be established on the forest land
1.14.	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.15.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.17.	The forest land proposed to be diverted shall not under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.18.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.19.	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.20.	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.21.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.22.	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.23.	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.24.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.25.	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the All Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.26.	Grant of working permission to the extent proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015
1.27.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.326ha as NFL, Compartment No. 863/728, Village- Sawapura, Range-Pushkar, Tehsil- Piplangan, District- Ajmer, Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.28.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.6204 ha NFL, Compartment No. 860/828, Village- Sawapura, Pushkar, Tehsil- Piplangan, District- Ajmer, Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.29.	User agency shall restrict the felling of trees to 566 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

2. Standard conditions	
S.No	Conditions
2.1.	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit details of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road before final clearance.
2.2.	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and affected completely before the project is closed.
2.3.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.4.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.
2.5.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.
2.6.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural stream/streams/creeks should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals

3. Specific Conditions	
S.No	Conditions
3.1.	The User Agency shall construct 6 feet high wall along the boundaries of the non-forest land proposed for CA on both patches.
3.2.	User Agency shall provide at its cost the required number of Solar Pumps as given by the Forest Department for irrigating the CA plantation
3.3.	The User Agency shall also plant 1000 trees of Ficus species/Indigenous species in lieu of the tree felled for the proposal, on both sides of the road at its cost

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section/ 2 of the Van (Samsarkhan Eram Samvardhan) Adhinyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-Principle/Stage-I approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-Principle approval shall be revoked after two (02) years.

[Click to Download](#)
(Click here to download the document)

सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

■ गांव, गरीब और किसान के प्रति राजेश पायलट के विचार आज भी प्रेरणास्रोत हैं : सचिन पायलट

अजमेर, (कासं)। पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर भंडाना जिला दौसा में आयोजित प्रेरणा दिवस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में अजमेर के कांग्रेसियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि गांव, गरीब और किसान के प्रति राजेश पायलट के विचार आज भी प्रेरणास्रोत हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी उनकी सादगीपूर्ण साहस और सेवा के रास्ते पर चलकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली, प्रभुप्रभारी हरीश चौधरी, राजस्थान सहप्रभारी सचिव चिरंजीव

राव, मकवाना प्रमोद जैन भाया सहित कांग्रेसी सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन ने भाग लिया और स्व. राजेश पायलट की श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर कांग्रेसियों की श्रद्धांजलि : अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल ने बताया कि स्व.राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित प्रार्थना दिवस, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ईसाफ, प्रदेश महासचिव राकेश पारीक, पूर्व विधायक नाथूराम खिनोदिया, पूर्व महापौर कमल बाकोलिया, पीसीसी सदस्य हेमंत भाटी, पारस पंच, शिव प्रकाश गुर्जर, निर्मल बेरवाल, राकेश धाबाई, मनीष चौरीशिया, हरि सिंह गुर्जर, हरचंद हाकला, राजेश, सुरेश, सांवरलाल, पप्पू, राज नारायण आसोपा, श्रीलाल कंवर, रामकरण, अवधेश पारीक, पंवर बहादुर सिंह चीता, गुरु दयाल गुर्जर, शंकर गुर्जर, मुकेश सिंह राठौड़, भरत सिंह राणा सहित अजमेर के सैकड़ों कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया

अब तक लगाए 37 हजार से अधिक पौधे पर्यावरण संरक्षण का रचा कीर्तिमान

अजमेर, (कासं)। शहर में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ग्रीन आर्मी अजमेर ने बीते 7 वर्षों में 37 हजार से अधिक वृक्ष लगाकर एक मिसाल कायम की है। संस्था ने पौधरोपण को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक जनआंदोलन का रूप दिया है। अध्यक्ष सिद्ध भटनगर ए सचिव एडवोकेट कुलदीप सिंह गहलोत और उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपक शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान शहर के कोने-कोने तक पहुंचा है।

संस्था का गठन विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किया गया, जिनमें डॉ विकास सक्सेना, नीति मेहता, मंगलचंद मित्तल, मोदू कर्णावत, डॉ. प्रीति लाल, नलिन औपचारिकता नहीं बल्कि एक जनआंदोलन का रूप दिया है। अध्यक्ष सिद्ध भटनगर ए सचिव एडवोकेट कुलदीप सिंह गहलोत और उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपक शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान शहर के कोने-कोने तक पहुंचा है।

पूर्णिमा पर प्रेम प्रकाश आश्रम में सत्यनारायण कथा का श्रवण

अजमेर, (कासं)। प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य के सन्त स्वामी ब्रम्हानन्द शास्त्री के साहित्य में बुधवार को पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण की कथा का श्रवण हुआ। इस अवसर प रसंत शास्त्री ने सत्संग प्रवचनों में कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा का परिवार सहित श्रवण करने से हमारे संकट एवं विपत्तियां दूर होती हैं। सन्त स्वामी ब्रम्हानन्द शास्त्री ने बताया कि एक ध्वनि

आधी ध्वनि आधी की पुन आध तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध, इसलिए हमें नियमित रूप से अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए सत्संग में जाना चाहिए। प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर में स्वामी बसंतराम सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित सत्संग प्रवचनों में प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर के सन्त स्वामी रामप्रकाश और सन्त स्वामी जस महाराज

विभिन्न 14 माहेश्वरी महिला संगठनों को वितरित किए हवन कुंड

■ माहेश्वरी महिला मंडल की सदस्य ए धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु पूरे वर्ष चलायेगी हवन कार्यक्रम

किये गये। इस अवसर पर क्लब के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती अनिता जी सोडाणी एवं जिलाध्यक्ष श्रीमती डॉ चेतना जागेटिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि – हमने बहुत छोटे स्तर पर यह कार्य प्रारम्भ किया है लेकिन उम्मीद है कि इस कार्य की महान उपयोगिता को देखते हुए हमारे समाज के सबसे बड़े और सर्वोच्च संगठन श्री अखिल भारतीय जागेटिया एवं क्लब के जिला निःशुल्क हवन कुंड वितरण कार्य को पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर करेगी। क्लब के भीलवाड़ा जिला सचिव श्रीमती डॉ राखी राठी ने बताया कि हवन कुंड वितरण कार्यक्रम में नगर माहेश्वरी महिला मण्डल भीलवाड़ा, आरकेआरसी व्यास क्षेत्रीय माहेश्वरी

महिला संगठन, शास्त्री नगर क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला संगठन, आजाद नगर क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला संगठन, संजय कालोनी क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला संगठन, विजय सिंह पथिक नगर क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला संगठन, बापू नगर क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला संगठन, सुभाष नगर क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला मंडल व माहेश्वरी महिला मंडल पुर सहित विभिन्न महिला मंडलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती कान्ता मेलाणा, जिला सचिव श्रीमती राखी राठी, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती नीलम दरगाड, जिला स्वास्थ्य सेवा सचिव श्रीमती सुनिता मनीष पलोड, जिला क्रीडा सचिव श्रीमती रेखा कोटागढ़, जिला सचिव श्रीमती राखी राठी, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती नीलम दरगाड, जिला स्वास्थ्य सेवा सचिव श्रीमती सीमा बिडला, समाज सेवा सचिव जगदीश मून्डा, जिला कार्यकारी सचिव सत्यम रामचन्द्र मून्डा के साथ ही क्लब जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। अंत में सभी का आभार जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती नीलम दरगाड ने व्यक्त किया।

शाहपुरा में सिंधी बोली संस्कार शिविर का शुभारंभ

■ बच्चों में दिखा उत्साह

शिविर में 21 बालक बालिकाओं का पंजीयन करके उनको सिंधी बोली, भाषा के बारे में जानकारी दी गई। उद्घाटन समारोह में झुलेलाल महिला मार्गदर्शिका की कृपा वासवाना, कविता वासवाना, सावित्री देवी मेठवानी, दुर्गा केवलाणी, धनवी लखपतानी, विमला आसवानी, धनवी शारवानी, हर्षिता पेसवानी, शिक्षिका मेधा केवलाणी, अंजली सामतानी के अलावा पूज्य सिंधी पंचायत सचिव ओम सिंधी, मोहनलाल झुलेलाल महिला मंडल संयोजक शिखा सामतानी सहित समाज के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।आज पहले दिन

जिससे बच्चों को अधिक व्यावहारिक और संस्कारात्मक ज्ञान प्राप्त हो सके। शिविर में सिंधी भाषा का पठन-पाठन, लेखन, बोलचाल, सिंधी संस्कृति की जानकारी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की शिक्षा और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को समता विकास की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा।सिंधु सभा के अध्यक्ष चेतन चंचलानी व पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मोहनलाल लखपतानी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से बच्चों को मातृभाषा सिंधी के साथ-साथ भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्यों से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समाज की रीढ़ होती है और उसके सहयोग से ही संस्कारों की नींव मजबूत होती है।

चिकित्सा पर कार्यशाला का आयोजन

अजमेर, (कासं)। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के शल्य चिकित्सा विभाग में बुधवार को रेंजिडेंट चिकित्सकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य युवा चिकित्सकों को आंतों की जटिल सर्जरी के उन्नत तकनीकों की ट्रेनिंग देना रहा। कार्यशाला में 50 से अधिक रेंजिडेंट डॉक्टरों ने भाग लिया और वरिष्ठ शल्य चिकित्सकों की निगरानी में मॉडल्ल्स पर आंतों को स्टेपल और सर्जिकल सूचस द्वारा जोड़ें की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से सीखा। विभागाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार नुनकर ने बताया कि आंतों की जटिल सर्जरी में स्टेपल व सूचर तकनीक के सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से रेंजिडेंट डॉक्टर न सिर्फ सर्जरी की बारीकियों को समझते हैं।

NAME CHANGE

I Army No 15817103H, HAV, Krishna Kumar, Residing Vill & Po- Malikpur, Teh- Najalgarh, Dist - South West Delhi, 110073 Have changed my Father's name From Bijender Singh to Bijender & Dob From 02/01/1965 to 01/05/1966 Vide affidavit no BW757277 Dt 03/06/2025 before court Campus Nasirabad

आम सूचना

मेरे देवर गोद पुत्र स्व. श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जनों की दाणी सांवतसर मदनगंज- किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास दिनांक 21 अगस्त 1984 को मेरे निवास स्थान पर हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अर्साई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करें। प्राधिया-लाली देवी पत्नी स्व.जेठाराम

आम सूचना

मेरी सास झमकू देवी पत्नी स्व. श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जनों की दाणी सांवतसर, मदनगंज- किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास दिनांक 23 सितंबर 1983 को मेरे निवास स्थान पर हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करें। प्राधिया-लाली देवी पत्नी स्व.जेठाराम

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तारख 34 घण्टा खसरा नं. 346 मुख्य संख्या 45.46 क्षेत्रफल 501.11 वर्गफुट की अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा जारी लेन डीप एट्टा क्रमांक 4081 दिनांक 24/11/2013 को स्व. श्री देवर अती पुत्र मोहनम सहित निवासी 902/52 सोहाखन बसिंदर बिरला अजमेर के एक में जोड़े हुए जा की जय पंजीन कालिय अजमेर से पंजीकृत/रजिस्टर्ड करवा दिया अजमेर विकास प्राधिकरण के आस-पास टोटाखल मांग अजमेर क्षेत्र में फिर नई हो जाे कभी लगाने के पचात भी नही भिरे है किसी भी द्वारा पुरिष में ही ऊक एट्टा की अनुमृदु की किराई देन डक करवा दी गई है जिसकी दिनांक 6/10/2025 LR NO 2792356 अतः जिस किसी भी व्यक्ति को लेन डीप एट्टा की प्रति भिरे तो कृप ककर निम पक्ष पर समर्क कर लोटाये जाने की कृप करे सो सूचित रहे।
- श्री मोहन अती पुत्र स्व. देवर अती, 902/52 सोहाखन सहैवर नगर, अजमेर, मो. 941446839

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटि/अनर्पति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु सूचना का प्रसारण

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की वैशाली नगर के आवासीय/व्यावसायिक मुख्य संख्या ए-7, क्षेत्रफल 314.64 वर्गजम, के 1/3 हिस्से के आवंटि/अनर्पति स्व. श्री आनन्द कुमार गाम्गीया पुत्र स्व. श्री महर साह, निवासी ए-7 सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर,अजमेर की मृत्यु दिनांक 29.10.2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सत्या रिपोर्ट सत्यन कार मृतक के वारिशी क्रमः 1 श्रीमती अनिता गाम्गीया पत्नी स्व. श्री आनन्द कुमार गाम्गीया, 2 श्रीमती अनुषी गाम्गीया पुत्री स्व. श्री आनन्द कुमार गाम्गीया पत्नी श्री पीपूष अजमेर निवासी ए-7, सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर द्वारा अपने सहसहस्रवर्ष अनुग्रह गाम्गीया पुत्र स्व. श्री आनन्द कुमार गाम्गीया, निवासी ए-7, सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर,अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 02.08.2024 के आधार पर नामान्तर हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करनी। उक्त निवेद अर्थात पचात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
-योजना प्रभारी, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटि/अनर्पति द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रसारण

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की थोक वसियन नियमन के आवासीय/व्यावसायिक खसरा नं. 26.40 क्षेत्रफल 478.60 वर्गजम के आवंटि/अनर्पति श्री वली मोहम्मद हु। श्री अल्तादीन निवासी आनासागर सिंग रोड,अजमेर की मृत्यु 25/07/2014 को होने पर मृत्यु प्रमाण तथा वसीयतनामा (अपजीकृत दिनांक 18/07/2014) सत्यन कार मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री मोहम्मद उस्मान पुत्र स्व. श्री वली मोहम्मद निवासी 32 ए. आनासागर सिंग रोड, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करनी। उक्त निवेद अर्थात पचात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
-योजना प्रभारी, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

कार्यालय आम पंचायत अण्टाली पंचायत समिति हुरड़ा

क्रमांक-SP-1 दिनांक:-10.06.2025

निविदा सूचना 2025-26

ग्राम पंचायत अण्टाली, पंचायत समिति हुरड़ा की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु पंचायत की FFC/SFC के उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित विकास कार्यों की मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी सभी शर्तें कार्यालय पंचायत में ग्राम पंचायत अण्टाली में देखी जा सकती है।

UBN NO- ZBL2526WSOB1075-1077

NIB NO- ZBL2526A0538

समय

ग्राम पंचायत अण्टाली पंचायत समित हुरड़ा

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अण्टाली पंचायत समिति हुरड़ा

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति SC के छात्रों के लिए "टाप क्लास एजुकेशन स्क्रीम" के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) को 02-06-2025 से फ्रेश (नवीन) और रिन्यूअल (नवीकरण) छात्रों के लिए खोला गया है।

वे अनुसूचित जाति के छात्र, जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से ₹8.00 लाख तक है, और जिनहोंने इस योजना के अंतर्गत अभ्युसूचित किसी भी संस्थान में पूर्णकालिक निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, वे उन संस्थानों को आवंटित छात्रवृत्ति की संख्या (स्लॉट्स) की सीमा तक इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

पोर्टल संभावित रूप से 31-10-2025 को बंद हो सकता है।

फॉर्म भरने से पूर्व छात्र योजना की पात्रता शर्तें अवश्य जांच लें। NSP पोर्टल पर फॉर्म भरने के विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। योजना से संबंधित दिशानिर्देश देखने के लिए socialjustice.gov.in/schemes पर जाएं या नीचे दिया गया QR कोड स्कैन करें।



CBC 38101/11/0006/2526